

01, जुलाई 2014

प्रिय,

यह बीआरजीएफ के साथ तालमेल के संबंध में हमारे विचार-विमर्श से संबंधित है जो देश में 272 पिछड़े जिलों को शामिल करता है जिसमें भारत में कुल जिलों के 40% से ज्यादा शामिल हैं।

2. हम निम्न रूप से पेय जल एवं स्वच्छता से संबंधित पूंजीगत लागतों हेतु पिछड़े क्षेत्र में बीआरजीएफ से कम से कम 2000 करोड़ रु के पूंजीगत निवेश के तालमेल हेतु आपकी स्वीकृति पाने के इच्छुक हैं:--

(क) सामुदायिक और व्यक्तिगत शौचालय/वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय में व्यक्तिगत शौचालय मनरेगा पैटर्न के तहत निम्न प्रकार से वित्त पोषित हैं:-

i. मनरेगा से-10,000/-

ii. लाभार्थी से -900/-

कुल-10,900/-

इसी प्रकार से बीआरजीएफ सामुदायिक शौचालयों का रख-रखाव 7 वर्षों हेतु अपने जिम्मे ले सकता है बाद में वह पंचायत को सौंप सकता है। शुरुआती तौर पर एक नमूने के तौर पर पिछड़े क्षेत्रों के जिलों में प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक के हिसाब से 2500 सामुदायिक शौचालयों से शुरुआत की जा सकती है। चूंकि सामुदायिक शौचालयों के लिए कुछ नवीनतम उपलब्ध अनुमानों, जो कि सं.स.(स्वच्छता) द्वारा अनुमानित था, से संकेत मिलता है कि प्रत्येक सामुदायिक शौचालय हेतु लगभग 6 लाख रु के लगभग खर्च होगा जिसे कि आप द्वारा पुनः चैक करने की जरूरत है।

(ख). बसावटों/घरों में पाइपलाइनों के माध्यम से पानी लेने के संबंध में कुछ स्कीमों को (शुरुआती तौर पर प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम पुनः एक) एकल गाँव स्कीमों और साथ ही बहु-ग्राम स्कीमों को, जो सतही जल का दोहन करने वाली और एक से अधिक गाँव को कवर करने वाली है, को बीआरजीएफ के तहत शुरू किया जा सकता है।

आप तदनुसार ग्रामीण पंचायतों और राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाना चाहेंगे। इस हेतु शीघ्र उत्तर की अपेक्षा है। हम समझते हैं कि बीआरजीएफ बॉटम्स अप प्लॉनिंग आधार पर है अतः आप द्वारा पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं को लाने पर विचार किया जाएगा और इसे जिला योजना समितियों द्वारा अनापत्ति दी जाएगी।

शीघ्र उत्तर का अनुरोध है---

सादर,

आपका

(पंकज जैन)

श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी (भा.प्र.से)

सचिव (पं.रा.)

पंचायती राज विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

एनओओ

अनुवर्ती कार्रवाई हेतु

(1) सं.स. (स्वच्छता) और (2) सं.स. (जल)

(पंकज जैन)